कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती–2022 में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक शिविरा–माध्यः / संस्था / एफ–1 / 12102(200—B) / सी.भ. / बेसिक.कम्प्यू.अनु. / 2022 / दिनांक 03.04.2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को आंवटित किए गए थे। उक्त आदेश में विशेष विवरण कॉलम में अंकित ONLY COUNSELLING वाले अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसकी पालना में दिनांक 11.04.2023 से 12.04.2023 तक काउन्सलिंग शिविर का आयोजन किया गया था।

श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य./संस्था/एफ–1/12102(200–B) / सी.भ. / बेसिक.कम्प्यू.अन्. / 2022 दिनांक 23.05.2023 एवं शिविरा—माध्य. / संस्था / एफ—1 / 12102(200—B) / सी.भ. / बेसिक कम्प्यु अन्. / 2022 दिनांक 24.05.2023 द्वारा उक्त अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक दस्तावेजों की संबंधित विश्व विद्यालय / संस्था से Genuine रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश प्रदान किये जाने की पालना में संलग्न सूची अनुसार **बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक (नॉन टीएसपी क्षेत्र)** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल— 8 में दो वर्ष की अवधि हेत् प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 18500 / — (अक्षरे अट्ठारह हजार पांच सौ रूपये मात्र) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तें यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

- 1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चिरत्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरुथता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं इस संबंध में तत्काल स्थानीय कार्यालय कों अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
- 2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी / ए—ा। / 95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 / – रू. के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- 3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लाग् होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50 / – रू. के नॉन ज्युडिशयल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार ध्रमपान / मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

Signature valid

Digitally signed by Rahy Kumar Rajpurohit Designation : **Qistrict** Education Officer

Date: 2023.05.25 15:43:30 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3910305



- 5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- 6. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50 / के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावें।
- 7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रैनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियाँ की जावेगी।
- 8. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- 9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ-12(९)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- 10. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलंग्न दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच करनें के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 11. सम्बन्धित संस्था प्रधान / पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 15-06-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज / सुचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न :- आदेश सूची क्र.स. 01 से 15

(राहुल कुमार राजपुरोहित) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, पाली दिनांक-25.05.2023

क्रमांकः जिशिअ / (मा.)मु / पाली / संस्था / बेसिक कम्प्यू.अनु. / 2023 / 142 प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

- 1. श्रीमान विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2. श्रीमान विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3. श्रीमान संयुक्त शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (क—2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 5. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 7. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा पाली-मण्डल, पाली।
- 8. शाखा अवधायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त पाली।
- 10. सम्बन्धित संस्था प्रधान / पी.ई.ई.ओ उमावि / मावि
- 11. सम्बन्धित आशार्थी।
- 12. रक्षक पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahy Kumar Rajpurohit Designation : District Education Officer

Date: 2023.05.25 13:43:30 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3910305



लय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

जिशिअ / मु. / मा. / पाली / संस्था / बेसिक कम्प्यूटर इन्सट्रक्टर / 2023 / 142

दिनांक :- 25.05.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती—2022 में चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

S.N.	MERI T NO.	NAME	FNAME	DOB	CAT	H CAT	M/F	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	6563	JYOTI GOYAL	JAI DEV	18-Oct-90	GEN	 Female	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOJAT ROAD (214161)	SOJAT	H (ma)
2.	5462	NEHA GUPTA	ANIL KUMAR GUPTA	30-Jan-90	GEN	 Female	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PRATAPGARH (214128)	RAIPUR	1
3.	5831	KRISHNA KUMARI	PREM SINGH	20-Mar- 92	GEN	 Female	GEN	JASRAJ PUNAMIYA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DENDA (221474)	PALI	N/Wa
4.	5868	SHIVANI VERMA	SATISH VERMA	21-Oct-94	GEN	 Female	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALA KI CHOWKI (214115)	RAIPUR	म्म गोप सम्बद्धाः
5.	6132	RAJNI YADAV	BABULAL	09-Apr- 97	GEN	 Female	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AMARPURA (214116)	RAIPUR	
6.	6435	SUSHMA	BHAGWAN SINGH	19-Jul-91	GEN	 Female	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DEORIYA (214080)	JAITARA N	

Signature valid

Digitally signed by Rany Kumar Rajpurohit Designation: District Education Officer Date: 2023.05.25 13:42:51 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3910228



लय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

जिशिअ / मु. / मा. / पाली / संस्था / बेसिक कम्प्यूटर इन्सट्रक्टर / 2023 / 142

दिनांक :- 25.05.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती—2022 में चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

S.N.	MERI T NO.	NAME	FNAME	DOB	CAT	H CAT	M/F	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7.	635	SAGAR RAKHECHA	DILIP KUMAR RAKHECHA	26-Jul-99	OBC	 Male	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SABALPURA (214095)	RAIPUR	
8.	3343	NEERAJ RAJPUROHIT	SURENDAR RAJPUROHIT	29-Aug- 98	GEN	 Male	GEN	SETH MOHANLAL SAYARCHANDRA KAWAD GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAITPUR PALI (221183)	ROHAT	Scanned with CamSca
9.	4417	BANJARA DINESH KUMAR	SHRAVANKUM AR	01-Oct-93	SC	 Male	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIRATIYA KHURD (214114)	RAIPUR	
10.	4848	RAKESH BISHNOI	SHIVA RAM	16-Sep-97	OBC	 Male	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MEO (214139)	SOJAT	escanned with
11.	5350	KEVAL JOSHI	SANTOSH JOSHI	25-Jul-95	GEN	 Male	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SALODARIYA (221297)	SUMERP UR	-s.A.
12.	5447	NAVNEET SINGH	SATYENDER SINGH	07-Sep-90	GEN	 Male	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BITHURA KALAN (221218)	MJ	

Signature valid

Digitally signed by Rahy Kumar Rajpurohit Designation : District Education Officer Date: 2023.05.25 18:42:51 IST

Reason: Approved





लय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, पाली

जिशिअ / मु. / मा. / पाली / संस्था / बेसिक कम्प्यूटर इन्सट्रक्टर / 2023 / 142

दिनांक :- 25.05.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती—2022 में चयनित अभ्यर्थियों के काउन्सलिंग पश्चात पदस्थापन आदेश

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP)

S.N.	MERI T NO.	NAME	FNAME	DOB	CAT	H CAT	M/F	SEL CAT	SCHOOL NAME	block	Candidate Photo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13.	5544	LALIT	CHANDAN SINGH	08-Oct-90	GEN	 Male	GEN	SHAHID POORAN KATHAT GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANANA (214129)	RAIPUR	lob
14.	5583	PRAVEEN KUMAR	SATBIR	20-Mar- 93	GEN	 Male	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GADANA (221235)	MJ	
15.	5802	PRADEEP KUMAR POONIA	RANJEET POONIA	08-Mar- 96	ОВС	 Male	ОВС	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAIRA KALLAN (214169)	SOJAT	©Scanned wr

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

Signature valid

Digitally signed by Rahy Kumar Rajpurohit Designation : District Education Officer Date: 2023.05.25 18:42:51 IST

Reason: Approved



